कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश क्रमांक 95 / दो–11–01 / 2022 दुर्ग दिनांक 07.11.2023

इस कार्यालय स्थापना में सहायक ग्रेड–3 के 09 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 17 / दो–11–01 / 2022 दिनांक 15.03.2023 की कंडिका 10 के परिपेक्ष्य में मुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी श्री संजय देवांगन पिता श्री चन्द्रबली देवांगन तथा मुक्त अनुसूचित जाति वर्ग के चयनित अभ्यर्थी श्री परमेश्वर पिता श्री मिलाप राम के द्वारा 15 दिवस के निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप भर्ती एवं चयन समिति, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रतीक्षा सूची एवं मुक्त अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतीक्षा सूची में दर्ज निम्नलिखित अभ्यर्थीयों को सहायक ग्रेड–3 के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतन (19500–62000, वेतन मेट्रिक्स लेवल–04) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है:–

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में लंबित रिट पिटीशन क्रमांक (WPS No.) 1363 / 2023 खुशबू देवांगन विरूद्व प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग तथा अन्य एवं रिट पिटीशन क्रमांक (WPS No.) 2468 / 2023 जितेन्द्र कुमार सिन्हा विरूद्व प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग व अन्य में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन है, जो दोनों चयनित / नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी रहेगा ।

क्र.	उम्मीद्वार का नाम एवं पता का नाम	उम्मीद्वारों का पता	वर्ग	नियुक्ति का वर्ग
1.	श्री रितेश देवांगन पिता श्री विजय देवांगन	निवासी–करबला रोड, पुराना बस स्टैण्ड, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग	मुक्त अन्य पिछड़ा वर्ग
2.	श्री सुनील कुमार चौहान पिता श्री तलक राम चौहान	निवासी–ग्राम गदगांव पोष्ट राबो, तहसील तमनार, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	अनुसूचित जाति	मुक्त अनुसूचित जाति

छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के अंतर्गत नियुक्ति की निर्धारित शर्तेः–

1. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र व समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति (मूल प्रति सहित अवलोकनार्थ) कार्यभार ग्रहण करते समय साथ लेकर उपस्थित होंगें । साथ ही कार्यभार ग्रहण करते समय 2 नग सेवा पुस्तिका तथा 1 नग पासबुक कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरांत मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करेंगें ।
3. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्वा व निष्ठा रखेगें। आज्ञाकारिता के उत्कृष्ट मानदंड के अनुसार कार्य करेंगें तथा सौंपे गये कार्य को सहर्ष पूरा करेंगें ।
4. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की दशा में उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

5. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी । इसके उपरांत भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परीवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।
6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह के वेतन व भत्ते के बराबर की राशि जमा / भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, एक वर्ष पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्य नियोजन हेतु भी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होगी ।
8. शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को होगा ।
9. चयनित / नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा ।
10. उपरोक्त दोनों नवनियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उनके नियुक्ति आदेश अनुसार निर्धारित की जावेगी ।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668 / 2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी ।

सही/-
(सिराजुद्दीन कुरैशी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 447 / दो–11–1 / 2022 दुर्ग, दिनांक 07.11.2023

प्रतिलिपिः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्री रितेश देवांगन पिता श्री विजय देवांगन, निवासी करबला रोड, पुराना बस स्टैण्ड बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
3. श्री सुनील कुमार चौहान पिता श्री तलक राम चौहान, निवासी– ग्राम गदगांव, पोस्ट राबो, तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)
4. कार्यालय लिपिक, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)